न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 2478/2015

प्रार्थीगण :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1 अब्दुल करीम पुत्र जमालुदीन 2 जहूर मोहम्मद पुत्र जमालुदीन 3 अयूब पुत्र जमालुदीन 4 ईदरीश पुत्र जमालुदीन 5 इस्माइल पुत्र जमालुदीन 6 असफाक पुत्र जमालुदीन जातियान मुसलमान निवासीगण रास तहसील जैतारण जिला पाली राज		1 सत्यनारायण पुत्र पूसा जाति-लखारा, निवासी-रास 2 रमेश पुत्र पूसा जाति-लखारा निवासी-रास 3 हीरा बेवा पूसा जाति-लखारा, निवासी-रास 4 राधेश्याम पुत्र बंशीधर जाति-ब्राह्मण,निवासी हाल-गायत्री नगर अजमेर रोड टंकी के पास, ब्यावर जिला-अजमेर 5 मुरलीधर पुत्र बंशीधर जाति-सुरजपोल गैट माल मन्दिर गली, ब्यावर अजमेर (राज.) 6 नन्दकिशोर पुत्र बंशीधर ब्राह्मण थ्नवासी-गुलाबभोवा कॉलोनी सब्जीमण्डी लिंग रोड, ब्यावर जिला-अजमेर (राज.) 7 सत्यनारायण पुत्र बंशीधर ब्राह्मण निवासी हाल सूरजपोल माली मन्दिर गली ब्यावर, जिला-अजमेर 8 मदनलाल पुत्र मोहनलाल जाति-ब्राह्मण निवासी-रास 9 लक्ष्मणराम पुत्र बालूराम जाति-ब्राह्मण, हाल निवासी-सूरजपोल गैट माली मन्दिर गली, ब्यावर 10 अजयसिंह पुत्र दुर्गासिंह जाति-राजपूत, निवासी-रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अर्न्तगत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.18.06.2015

उपस्थितः- 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 04/07/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रास के चक नम्बर-एक में प्रार्थी को खातेदारी एवं कब्ज काश्त की जमीन खसरा नम्बरान् 1371, 1372, 1373 कुल ख.नं. 3 कुल रकबा 16-10 बीघा किस्म बा0दो0 की आई हुई हैं। उक्त भूमि के लगते ही पास में अप्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन निम्न खसरा नम्बरान की आई हुई हैं कि खसरा नम्बर 1370, 1381, 1382 कुल खसरा 3 कुल रकबा 19-29 बीघा किस्म बा0दो0 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच माठ लेकर हर वर्ष खेती बोने के समय में विवाद होता हैं। प्रार्थीगण की जमीन पर अप्रार्थीगण जबरदस्ती कब्जा करने पर उतारु हैं। मौके पर प्रार्थीगण के पास अपने खातेदारी रेकर्ड अनुसार नहीं होकर कम है। इसलिए प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अपनी खातेदारी जमीन का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिसमें अप्रार्थीगण आपत्ति करते हैं। क्योकि प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे में होने से नाप चौप व मुडडा गुडडी करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रार्थीगण की भूमि डामर सडक के पास होने से एक दुसरे की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। जबकि मौके पर प्रार्थीगण की जमीन के तीनों तरफ मुडड गडडी नही होने से हर वर्ष विवाद होता है। इसलिए प्रार्थीगण की जमीन पर मुडडा गडडी करने के लिए टीम गठित करवाई जाना जरुरी हैं। ताकि रेकर्ड माफिक मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच मुडडा गडडी होने के बाद एक दुसरे की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नही करेगे। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की जमीन पर अप्रार्थीगण मुडडा गडडी करवाये बिना काश्त करने में अडचन पैदा करते हैं कि इसलिए प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन की पेमाइश करके मुडडा गडडी करवाई जाना जरुरी है। प्रार्थना पत्र के साथ न्याय शुल्क सादर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1371, 1372, 1373 की टीम गठित कर पेमाई कर मुड्डा गड्डी करवाई जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-रास में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सत्यनारायण ने जबाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल मिसल हैं। जबाव काउन्टर प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 1370 रकबा 9-18 बीघा हैं। ख0नं0 1370 में स्थित भूमि के पास ही ख0नं0 1371, 1372 आया हुआ हैं, जो रास से लाम्बिया जाने वाली सड़क पर स्थित हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की खातेदारी ख0नं0 1370 की करीब ढ़ाई बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा हैं। जबाव मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण की कार्यवाही को खारिज कर अप्रार्थीगण 1, 2, 3 की भूमि ख0नं0 1370 का सीमांकन करवाने का आदेश फरमाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली मय दस्तावेजात एवं जबाब काउन्टर प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया गया। सायल ने सीमांकन का अनुतोष चाहा हैं। सायल दस्तावेजात के अनुसार खातेदार काश्तकार हैं। अप्रार्थीगण ख0नं0 1370 का खातेदार काश्तकार हैं। सीमा विवाद को लेकर पक्षकारान् में तनाजा हैं। चूंकि सायल गै0सा0 स्वयं राजस्व अभिलेख से खातेदार काश्तकार हैं तथा मौजा-रास में अपनी भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। गै0सा0 तहसीलदार, जैतारण को आदेश दिया जाता हैं कि सरहद मौजा-रास-प्रथम, पटवार हल्का-रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा नम्बरान् 1371, 1372, 1373 कुल ख.नं. 3 कुल रकबा 16-10 बीघा किस्म बा0दो0 एवं ख0नं0 1370 रकबा 9-18 बीघा का पक्षकारान् में सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाई जावें। तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 04/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner